राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16922/2019

1. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा, निवासी 14/ए नवदीप विहार-सी, गिरधारीपुरा पास के, गांधी पथ (पश्चिम) जयपुर-302021 (राजस्थान)।
2. अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, निवासी 171/94, सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर 302033 (राजस्थान)।
3. आशीष कुमार जैथालिया पुत्र श्री भंवर लाल माहेश्वरी, निवासी 64, मेन मार्केट रोड, ग्राम/पोस्ट मोरला, वाया लम्भा हरि सिंह, तहसील मालपुरा, जिला टोंक-304503 (राजस्थान)।
4. अनूप कुमार पाराशर पुत्र मोती लाल पाराशर, निवासी होली गेट, सुंद्रावली रोड, तहसील नगर, जिला भरतपुर (राजस्थान)।
5. प्रेम किशोर शर्मा पुत्र रूप किशोर शर्मा, निवासी ग्राम एवं चौकी सिनसिनी, तहसील डीघ, जिला। भरतपुर-321201 (राजस्थान)।
6. अविनाश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, निवासी बी-220, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान)।
7. अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह, 35, पंचवटी कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)।
8. अब्दुल शाहिद पुत्र अब्दुल शहजाद, निवासी जामा मसजिद, मनोहर थाना, जिला झालावाड़-326030 (राजस्थान)।
9. अखिल यादव पुत्र श्री नरेन्द्र पाल यादव, निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पास, ग्राम एवं पोस्ट चोथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
10. अरविंद शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा, निवासी प्लॉट नंबर 116, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर-303023 (राजस्थान)।
11. दलीप सिंह शेखावत पुत्र मदन सिंह शेखावत, निवासी ग्राम बांधवाला, पोस्ट गुहाला, तहसील-नीम का थाना, जिला सीकर-332706 (राजस्थान)।
12. राजेंद्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह, निवासी गांव हुडेल, पोस्ट हुडेल, तहसील नवा, जिला कांगड़ा नागौर-326037 (राजस्थान)।

13. सतीश चंद शर्मा पुत्र श्री नेमी चंद शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी कन्या विद्यालय के पास, वार्ड नंबर 20, गली-1, मेन बाई पास रोड, खेड़ली, जिला अलवर (राजस्थान)।

14. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अन्ने सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी न्यू जग माया मंदिर पुरानी बस्ती सुठला, सरस्वती किराना के पास, जोधपुर (राजस्थान)।

15. डॉ. चन्द्र शेखर लाहोटी पुत्र श्री राम करन लाहोटी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कड़ेल, जिला अजमेर (राजस्थान)।

16. गौरव मिश्रा नागरमल मिश्रा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी विश्वकर्मा मंदिर के पास, न्यू कॉलोनी कुचामन सिटी, जिला नागौर (राजस्थान)।

17. त्रिलोक प्रसाद चौहान पुत्र श्री नारायण सिंह चौहान, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी नागौरी गेट, राम चौक, सेंट नंबर 6, लोरिया का बास, जिला नागोरी गेट के अंदर जोधपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, अपने प्रधान सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, जयपुर (राजस्थान)।

3. निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

4. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर (राजस्थान)

5. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि एवं पंत भवन, जयपुर।

6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राजस्थान)।

7. जिला कलेक्टर, दौसा (राजस्थान)।

8. जिला कलेक्टर, सीकर (राजस्थान)।

9. प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री विज्ञान शाह,
श्री कमलेश शर्मा
श्री अक्षित गुप्ता

श्री हरेंद्र नील
श्री पुखराज चावला
श्री यश जोशी
सुश्री प्रज्ञा सेठ
श्री सरथ शर्मा

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. गणेश परिहार, ए.ए.जी.
श्री आशीष यादव, एजीसी और
श्री समीर शर्मा श्री प्रदीप कलवानिया,
जीसी के साथ

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह

रिपोर्टेबल

आदेश

06/05/2022

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

> "इन परिस्थितियों में, अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करे, और
> (i) पूर्व में नियुक्त कम मेधावी उम्मीदवारों के समान सैद्धांतिक वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और सैद्धांतिक पदोन्नति नहीं देने में प्रत्यर्थीगण की आक्षेपित कार्रवाई को अवैध और मनमाना घोषित किया जा सकता है और इसलिए, इसे रद्द किया जाए और आपास्त किया जाए।
> (ii) परमादेश रिट जारी करके, उसके स्वरूप में आदेश या निर्देश जारी करके प्रत्यर्थीगण को निदेश दिया जाए कि वे-
>
> *(i) विनम्र याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करें;*
>
> *(ii) ब्याज @ 9% प्रति वर्ष के साथ वेतन निर्धारण राशि पर अनुदान बकाया का भुगतान करे;*
>
> (iii) कोई अन्य उचित आदेश या *निर्देश* जो इस माननीय न्यायालय को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित लगता है, कृपया याचिकाकर्तागण के पक्ष में भी पारित किया जाए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्तागण ने एलडीसी पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा आयोजित करने के बाद, प्रत्यर्थीगण द्वारा परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्तागण का दावा है कि मनमाने तरीके से याचिकाकर्तागण की तुलना में कम मेधावी व्यक्तियों का चयन किया

गया है और वर्ष 2013 में प्रत्यर्थीगण द्वारा नियुक्ति दी गई है। वर्तमान मुकदमे के इतिहास से पता चलता है कि याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका दायर की, जिसका परिणाम इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती का विषय बन गया।

3. इस न्यायालय की खंडपीठ ने मामले पर समग्र दृष्टिकोण लेने और सौरभ कुमार कोठारी एवं अन्य बनाम आरपीएससी और अन्य (खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 1379/2014 और अन्य संबंधित मामले के मामले में) दिनांक 03.02.2016 के निर्णय के तहत इस मुद्दे की विस्तार से जांच करने के बाद निर्णय लिया। अंत में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया:–

> "परिणामस्वरूप, विशेष अपीलों को स्वीकार किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है, जो दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसरण में निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया के संबंध में 02.04.2012, 01.05.2014, 25.07.2014, 03.09.2014, 01.10.2014 और 09.10.2014 को जारी किए गए थे तथा 1999 के नियम 29 के परंतुक की वैधता को इस सीमा प्रभावित करने वाली रिट याचिका कि आशुलिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के चरण-II के प्रत्येक पेपर में उम्मीदवार को न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने होते हैं, आधारहीन हैं और तदनुसार खारिज की जाती है।
>
> आयोग को निदेश दिया जाता है कि वह दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसरण में निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की एक नई मेरिट सूची तैयार करे और उसे आगे बढ़ाते हुए जारी शुद्धिपत्र जारी करे और चरण-I के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने तथा प्रतियोगी परीक्षा के चरण-II के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करे और आपत्तियों, यदि कोई हो, पर ध्यान देने के बाद नई मेरिट सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे और उसके बाद, सात दिनों के भीतर, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, उनकी योग्यता के क्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करे और राज्य सरकार को इसके बाद इसे संसाधित करने और कानून की आवश्यकता और नियमों की योजना के उचित अनुपालन के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां देने का निर्देश दिया जाता है। यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार उचित अनुपालन के बाद और कानून के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने के

लिए स्वतंत्र है जो चरण-I के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंकों और चरण-II के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंकों के साथ अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे या नियमों की योजना के तहत निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के चरण-2 में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं थे।"

4. सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में, याचिकाकर्तागण को वर्ष 2016-17 में प्रत्यर्थीगण द्वारा नियुक्त किया गया था, दोनों पक्षों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि उक्त निर्णय को कभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अतः उक्त निर्णय को अंतिम रूप मिल गया है।

5. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं ने कहा कि सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने उन अयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया है, जिन्हें याचिकाकर्तागण से वरिष्ठ स्थान दिया गया है। अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय सेवा नियम, 1999 के नियम 37 (इसके बाद इसे **'1999 के नियम'** के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार सेवा में संलग्न पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की जाएगी। 1999 के नियमों के नियम 37 (i) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"37 (1) (i) निम्न श्रेणी लिपिक और स्टेनोग्राफर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता की सूची तैयार करने के लिए, एक और समान परीक्षा के परिणाम पर, उन लोगों को छोड़कर जो उन्हें रिक्ति की पेशकश किए जाने पर सेवा में शामिल नहीं होते हैं, क्रमशः नियम 28 और 29 के तहत आदेश का पालन किया जाएगा।

37(1)(i)(i-क) 37 (1) (आई) (आई-ए) यदि एक ही वर्ष के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सेवा में नियुक्त किया जाता है, तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

6. अधिवक्ताओं ने आगे 1999 के नियमों के नियम 28 और 29 में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया, जो निम्नानुसार है:–

"28. निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर चयन- (1) आयोग निम्न श्रेणी लिपिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करेगा।

परंतु यह कि आयोग, अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% की सीमा तक, आरक्षित सूची में उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम रख सकता है।

ऐसे उम्मीदवारों के नाम, आयोग द्वारा मूल सूची अग्रेषित किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रशासनिक सुधार विभाग में सरकार को ऐसी रीति से अग्रेषित किए जाने की सिफारिश की जा सकती है, जो आयोग तय करे, अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग में सरकार को योग्यता के क्रम में सिफारिश की जा सकती है;

परन्तु यह भी कि आयोग समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिला उम्मीदवारों आदि से संबंधित उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची भी तैयार करेगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन नियमों में निर्धारित प्रकार लेखन परीक्षा में अर्हक अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। टाइप राइटिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों को उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में जोड़ा जाएगा।

(2) उम्मीदवारों के नाम संबंधित सूचियों में परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे।

(3) आयोग प्रत्येक पेपर में एक और कुल मिलाकर तीन तक ग्रेस मार्क्स दे सकता है ताकि एक उम्मीदवार परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सके जो अन्यथा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता है;

परंतु यह कि आयोग किसी भी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करेगा जो निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के चरण-1 के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक और चरण-2 के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में विफल रहा है।

(4) आयोग इन सूचियों को सरकार सचिवालय के प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा जो सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी के लिए इसे अधिसूचित करेगा। इन सूचियों में से, प्रशासनिक सुधार विभाग उपर्युक्त उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई मेरिट सूची में उनके द्वारा प्राप्त स्थिति के आधार पर और विभाग द्वारा बनाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोस्टर के अनुसार विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों को उम्मीदवारों का आवंटन करेगा। ऐसा करते समय, प्रशासनिक सुधार विभाग आवेदन पत्र में उसके द्वारा चुने गए जिले को यथासंभव योग्यता के क्रम में आवंटित करने का प्रयास करेगा। किसी उम्मीदवार द्वारा चुने गए जिले में रिक्तियों की अनुपलब्धता के मामले में उसे राज्य के किसी अन्य जिले को आवंटित किया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करके स्वयं को संतुष्ट करेगा जो आवश्यक समझा जा सकता है कि ऐसे उम्मीदवार अन्यथा सभी मामले में उपयुक्त हैं।

29. आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए चयनः- (1) आयोग

आशुलिपिक की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। ऐसी सूची आयोग द्वारा सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाएगी जो उन्हें सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा। ऐसी सूची में से प्रशासनिक सुधार विभाग संबंधित विभाग में रखे गए रोस्टर के अनुसार विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों को उम्मीदवार आवंटित करेगा।

परंतु यह कि आयोग किसी भी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करेगा जो स्टेनोग्राफर के पद के लिए चरण-1 के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक और स्टेनोग्राफर के पद के लिए चरण II के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में विफल रहा है।

(2) नियुक्ति करने से पहले संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करके स्वयं को संतुष्ट करेगा जो आवश्यक समझी जाएगी कि ऐसे उम्मीदवार आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।

7. अधिवक्ताओं ने आगे यह कहा कि 1999 के नियमों के नियम 37 के अनुसार याचिकाकर्तागण की वरिष्ठता क्रमशः नियम 28 और 29 के तहत तैयार सूची में आदेश का पालन करेगी। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में प्रत्यर्थीगण द्वारा नई मेरिट सूची तैयार किए जाने के बावजूद, अभी भी प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्तागण को 1999 के नियमों के नियम 28 और 29 के साथ पठित नियम 37 के अनुसार वरिष्ठता नहीं दी है।

8. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण को सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में वर्ष 2016-17 में नियुक्ति दी गई है, हालांकि, यह सरकार के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में है कि वह उन अयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करे जिन्हें वर्ष 2013 में उनके द्वारा नियुक्ति दी गई थी। अधिवक्ताओं ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति से पहले की अवधि अर्थात 2016-17 की वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते क्योंकि सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया और निर्णय और कानून के प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया।

10. **सी जयचंद्रन बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 230** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए इसी तरह का विवाद

उत्पन्न हुआ, जहां पैरा 35 से 39 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:–

"35. याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका को 13-09-2010 को अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सात शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता उनमें से एक था। तीन प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा उक्त आदेश को चुनौती तब असफल रही जब 8-10-2010 को इस न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया गया। एसएलपी उन उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें अंकों के मॉडरेशन का लाभ दिया गया था। एक बार डिवीजन बेंच के निर्देश को अंतिम रूप देने के बाद, याचिकाकर्ता उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार संशोधित की जाने वाली चयन सूची के अनुसार वरिष्ठता का पात्र था। नियम 6 (2) के संदर्भ में, वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रमांक द्वारा किया जाना है जिसमें नियुक्ति आदेश में नाम दिखाई दिया था। प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि याचिकाकर्ता को उसी नियुक्ति आदेश द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है, स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता अन्य तीन उम्मीदवारों के साथ नियुक्त होने का पात्र था, लेकिन अंकों के मॉडरेशन को अपनाने में उच्च न्यायालय की कार्रवाई के कारण, याचिकाकर्ता को नियुक्ति से बाहर रखा गया था। नियुक्ति से याचिकाकर्ता को बाहर करना उच्च न्यायालय द्वारा एक अवैध कार्य के कारण था जिसे दिनांक 13-09-2010 के निर्णय द्वारा पाया गया है। चूंकि चयन सूची को संशोधित किया जाना है, इसलिए याचिकाकर्ता को उसी चयन सूची में अन्य उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति का हिस्सा माना जाएगा। चूंकि नियुक्ति की वास्तविक तारीख 24-02-2011 थी, याचिकाकर्ता को वास्तव में 30 मार्च, 2009 को नियुक्त नहीं माना जा सकता है, लेकिन वह उस तारीख और परिणामी वरिष्ठता से काल्पनिक नियुक्ति का पात्र है।

36. संजय धर मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया (एससीसी पी.191, पैरा 16):

"16. पूर्वगामी कारणों से अपील की अनुमति दी जाती है। अपील के तहत निर्णय को रद्द किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 6-3-1995 के नियुक्ति आदेश के तहत अन्य नियुक्तियों के साथ नियुक्त माना जाएगा और जे एंड के पीएससी द्वारा तैयार चयन सूची में योग्यता के क्रम में उसके प्लेसमेंट के साथ लगातार वरिष्ठता का स्थान सौंपा जाएगा और बाद में कानून विभाग को भेज दिया जाएगा।

37. लक्ष्मण राव यादवल्ली मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया (एससीसी पी.397, पैरा 13):

"13. लक्ष्मण राव यादवल्ली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज कारणों के लिए वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रत्यर्थी राज्य पूर्वव्यापी प्रभाव से याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा अर्थात जिस तारीख को उसे नियुक्त किया जाना चाहिए था, हालांकि, उसे उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान उसने जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया है। हमें यकीन है कि प्रत्यर्थी जल्द से जल्द याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उसी चयन प्रक्रिया में भाग लिया गया था और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा उसे संशोधित चयन सूची देकर उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में क्रमांक 42 पर धकेलकर संशोधित चयन सूची देकर सही ठहराया गया था।

39. याचिकाकर्ता को अंकों के मॉडरेशन के अवैध और मनमाने ढंग से अनुदान के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया से गलत तरीके से बाहर रखा गया था। सरकार ने अपने दिनांक 22-12-2010 के आदेश में तीन जिला और सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति रद्द कर दी जिन्हें मॉडरेशन का लाभ दिया गया था। बदरूद्दीन को पहले सामान्य श्रेणी की सीट सौंपी गई थी, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता योग्यता में उच्च था, इसलिए बदरुद्दीन को नीचे धकेल दिया गया और एसएल नंबर 42 पर ओबीसी श्रेणी की सीट के खिलाफ समायोजित किया गया। बदरुद्दीन ने न तो उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष या उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष भी एसएल नंबर 42 पर अपने पद को निम्न स्तर पर किए जाने को चुनौती नहीं दी है। इसलिए, प्रत्यर्थी के रूप में, उन्हें एसएल नंबर 41 में याचिकाकर्ता को वरिष्ठता प्रदान करने पर विवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय उठाए गए तर्कों के लिए सहायक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने रिक्तियों के समय से सीधी भर्ती के रूप में वरिष्ठता की मांग की थी। इस तरह के तर्क को उठाने के लिए, भारत संघ एवं अन्य बनाम एन.आर. परमार में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति उस तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का पात्र नहीं है जब वह सेवा में नहीं आया था। उक्त निष्कर्ष रिक्तियों की उपलब्धता की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे के संदर्भ में है; जबकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उसी चयन प्रक्रिया में अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की

तारीख से वरिष्ठता का दावा कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को अंकों के मॉडरेशन के उच्च न्यायालय के अवैध कार्य के कारण बाहर रखा गया है। इसलिए, उक्त निर्णय उठाए गए तर्कों के लिए कोई मदद नहीं करता है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्तागण को **सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्ति दी गई थी, जिसमें रिट याचिकाओं को अनुमति देते समय इस न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष रूप से निर्देश दिया था; (क) दिनांक 17-05-2011 के विज्ञापन के अनुसरण में निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की एक नई मेरिट सूची तैयार करना और (ख) इसके अलावा विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार राज्य सरकार को उनकी योग्यता क्रम को ध्यान में रखते हुए सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने का निदेश दिया गया और इसके बाद राज्य सरकार को कानून की आवश्यकता और नियमों की योजना के उचित अनुपालन के बाद कार्रवाई करने और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां देने का निदेश दिया गया। इस मामले की पृष्ठभूमि में, जब इस न्यायालय की खंडपीठ के विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में, प्रत्यर्थीगण द्वारा नई मेरिट सूची तैयार की गई है, जिसकी स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में होने की उम्मीद आशा है, तो वरिष्ठता और काल्पनिक लाभ भी दिए जाने चाहिए थे, गैर-विचार और गैर-अनुदान एक कारण बन गया है जिसके लिए याचिकाकर्तागण ने संयुक्त रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय की शरण ली है। रिकॉर्ड की समग्र जांच से मेरा मानना है कि याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं की दलीलों में कानूनी बल मौजूद है।

12. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्तागण द्वारा दायर इस रिट याचिका को इन कारणों से अनुमति दी जानी चाहिए; सबसे पहले, याचिकाकर्तागण को **सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति दी गई थी, जिसमें प्रत्यर्थीगण को अयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जो हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा नहीं किया गया है और ऐसे व्यक्ति अभी भी विभाग में काम कर रहे हैं, वह भी उन याचिकाकर्तागण से ऊपर जो उनसे मेरिट में उच्च हैं; दूसरे, 1999 के नियमों के नियम 37 को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता क्रमशः नियम, 1999 के नियम 28 और 29 के तहत तैयार की गई सूची में आदेश का पालन करेगी और निश्चित रूप से, उत्तरदाताओं ने **सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.)**

के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में चयनित उम्मीदवारों की नई चयन सूची तैयार की है; तीसरे, **सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 03.02.2016 को पारित किया गया था और यह प्रत्यर्थीगण का मामला नहीं है कि उक्त निर्णय कभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय नहीं बना, जिसका अर्थ है कि उक्त निर्णय पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, तब प्रत्यर्थीगण का कर्तव्य था कि वे सौरभ कुमार कोठारी (सुप्रा.) के मामले में पारित निर्णय में निहित निर्देशों का अक्षरश: पालन करें लेकिन इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण ने उनके साथ पांच साल से अधिक समय तक नियमों के अनुसार वरिष्ठता और सैद्धांतिक लाभ प्रदान करने के लिए मामले को लंबित रखा; अंत में, याचिकाकर्तागण ने एक ही चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और प्रत्यर्थीगण की लापरवाही के कारण उनकी नियुक्ति में देरी हुई है, इसलिए, याचिकाकर्ता उस तारीख से काल्पनिक निर्धारण अर्थात वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतनमान आदि के लाभों के पात्र हैं जब व्यक्तियों को समान चयन प्रक्रिया में नियुक्त किया गया था।

13. इस मामले को देखते हुए इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्तागण को वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे काल्पनिक लाभ उस तारीख से दें जब कम मेधावी व्यक्तियों को उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 17.05.2011 के विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्ति दी गई थी। सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा कर दिया गया है।

(इंद्रजीत सिंह, न्यायमूर्ति)

MG/258

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।